संख्या-53/2019/2428/71-2-19-287/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विश्वविद्यालय के पत्रांक 7102/योजना अनु0/2019, दिनांक 30.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण किये जाने के संबंध में 'रू0 8512.00 लाख (रू0 पचासी करोड बारह लाख मात्र) + जी0एस0टी0 नियमानुसार देय' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कुलपति/कुलसचिव का होगा।
4) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।
5) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

7) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, मेडिकल इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट, इ0पी0बी0एक्स0, सी0सी0टी0वी0, डेटा नेटवर्किंग, यू0पी0एस0 एवं किचेन उपकरण के कार्यो हेतु संबंधित निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करें तथा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

8) प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय-वित्त समिति/शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9) प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति की संस्तुतियों/दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10) लागत में परिवर्तन आदि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

13) प्रयोजना हेतु उपरोक्तानुसार निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

16) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

17) कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं हो रही है। इसे रोकने की दृष्टि से प्रायोजनान्तर्गत किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

18) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर की प्रस्तावित लागत रू० 403.19 लाख एवं सी0सी0टी0वी0 की प्रस्तावित लागत रू0 59.17 लाख व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमन्य न किये जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य मदों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायेंगे।

20) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

21) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-77- जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का सेटेलाइट सेन्टर - 24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3/1440/दस-2019, दिनांक 07.11.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-53/2019/2428(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक अपर परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, श्रावस्ती इकाई, श्रावस्ती।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in